मुख्यालय पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश।

1-तिलक मार्ग लखनऊ

संख्या- डी०जी० परिपत्र-17/2015 दिनांकःलखनऊःमार्च 10 ,2015

टास्क आर्डर

प्रदेश में गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप को रोकने , उनका सामना करने तथा उनसे सम्बद्ध या आनुशंगिक विषयों के लिए विशेष उपबन्ध करते हुए उ0प्र0 और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम 1986 लागू किया गया । उ0प्र0 शासन एवं मुख्यालय पुलिस महानिदेशक,उ0प्र0 लखनऊ द्वारा इस अधिनियम के क्रियान्वयन हेतु समय-समय पर शासनादेश/परिपत्र/दिशा-निर्देश निर्गत किये गये हैं ।

2- वर्तमान में उ0प्र0 शासन द्वारा उ0प्र0 गिरोहबन्द और समाजविरोधी क्रियाकलाप (निवारण) (संशोधन) अध्यादेश 2015 प्रख्यापित किया गया है जिसकी प्रति आप सभी को इस मुख्यालय के परिपत्र संख्या-11/2015 दिनॉक 11-2-2015 द्वारा प्रेषित की गयी है ।

3- प्रदेश में अपराध घटित होने तथा उनकी रोकथाम हेतु जनपदों में इस अधिनियम को लागू न किये जाने से अपराधियों में पुलिस के प्रति विश्वास कम होता जा रहा है तथा अपराधी लगातार अपराध कारित कर रहे हैं जिससे समाज में भय व्याप्त है तथा प्रदेश के नागरिकों द्वारा अपने को असुरक्षित महसूस किया जा रहा है ।

4- मेरे संज्ञान में यह तथ्य आया है कि जनपदों में गौवध, गायों की तस्करी, गाय-बैलों को ले जाते समय ट्रकों से पुलिस पर जान से मारने की नियत से हमला करना, डकैती और हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, गैंग रेप, अवैध शराब, एसिड अटैक, पुलिस अभिरक्षा में अभियुक्तों पर फायरिंग करना, बम चलाना तथा सार्वजनिक स्थानों पर गोलियॉ चलाया जाना, लोक सेवकों पर जान से मारने की नियत से आक्रमण करना, साम्प्रदायिकता फैलाना, बैंक ए0टी0एम0 लूटना, राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था और जीवन की गति को प्रभावित करने वाले अपराधों में उ0प्र0 गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप(निवारण) अधिनियम 1986 एवं उ0प्र0 गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण)(संशोधन) 2015 के प्राविधानों के अन्तर्गत नियमानुसार कार्यवाही नहीं की जा रही है ।

5- अतः उ0प्र0 गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप(निवारण) अधिनियम 1986 एवं उ0प्र0 गिरोहबन्द और समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण)(संशोधन) 2015 के प्राविधानों को कड़ाई से लागू किया जाय तथा अपराध नियंत्रण हेतु यथासम्भव नियमानुसार कार्यवाही कर अपराधियों को दण्डित कराने में पुलिस विभाग द्वारा प्रभावी कार्यवाही

सुनिश्चित की जाय । यदि मेरे संज्ञान में ऐसा कोई तथ्य आता है कि किसी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा अपराधी के विरूद्ध पर्याप्त साक्ष्य/सामग्री होने के बाद भी इस अधिनियम के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की गयी है तो ऐसे अधिकारी/कर्मचारी के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी ।

10.3.15

(अरविन्द कुमार जैन)
पुलिस महानिदेशक,
उ0प्र0 लखनऊ ।

प्रतिलिपि निम्नलिखिल को अनुपालनार्थ प्रेषितः-

1- समस्त जोनल पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
2- समस्त परिक्षेत्रीय पुलिस उपमहानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश ।
3- समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक प्रभारी जनपद उत्तर प्रदेश।